

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के मांग संख्या-04 के बजट शीर्ष-“2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-राज्य योजना-090-सचिवालय-0101-राजभाषा-” के विषय शीर्ष-“26 01-विज्ञापन और प्रकाशन” के अधीन उपबंधित कुल 48.21 लाख रुपये (अड़तालीस लाख इक्कीस हजार रुपये) में से उर्दू के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों की जन्म तिथि एवं पुण्य तिथि के आयोजन के लिए कर्णांकित राशि 2.00 लाख रुपये (दो लाख रुपये) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में होनेवाले व्यय कुल 1.32,000/- (एक लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

2. राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 में उर्दू साहित्यकारों की जन्म तिथि/पुण्यतिथि के आयोजन पर कुल रु0 1.32,000/- (एक लाख बत्तीस हजार) मात्र के हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

3. प्रस्तुत व्यय मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की वार्षिक योजना 2012-13 के मांग संख्या-04 के बजट शीर्ष-“2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-राज्य योजना-090- सचिवालय-0101-राजभाषा” के अधीन विषय शीर्ष “26 01 विज्ञापन और प्रकाशन” में यथाउपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इसका विपत्र कोड संख्या-P2052000900101 है।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्र संख्या-422/वि0, दिनांक 31.03.12 के अधीन कर्णांकित उद्ध्य के अंतर्गत है।

6. यह राज्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5685 वि0 (2), दिनांक 08.10.05 एवं संकल्प संख्या-3828 (वि0), दिनांक 12.06.06 में विहित प्रावधान के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

7. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, राजभाषा होंगे।

8. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि0(2), दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या- उ0नि0-45/2008 //रा0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

ह0/-

(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या- उ0नि0-45/2008 / 266/रा0, पटना, दिनांक 01-10-12

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/लेखा प्रशाखा (तीन प्रतियों में)/बजट प्रशाखा/योजना प्रशाखा/उर्दू निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है। संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय कोषांग/आई टी, मैनेजर मंत्रिमंडल सचिवालय को Web page पर upload हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव